16/12/08

संजीवजी 18/12/08

(5)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना–800001

सं0 एल0ए0/अधि0/1582

दिनांकः– 10/12/08

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, सरकार, पटना।

महाशय,

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या–439/2008–09, निधिः– नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर वर्ष 2002–03 से 2007–08 आप के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है।

अनुलग्नकः– यथोपरि

5824
17-12-08

भवदीय,

(भैरव कुमार)
लेखा परीक्षा अधिकारी/ अधिभार
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना–1

(5)

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्याः– 439/2008-09
नगर पंचायत-गोगरी जमालपुर (खगड़िया)।

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर (खगड़िया) के लेखा परीक्षा अवधि 2002-03 से 2007-08 तक के लेखाओं की नमूना लेखा परीक्षा कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना के स्थानीय लेखा परीक्षा, बिहार के लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 18/07/2008 से 09/08/2008 तक की गई।

2. प्रशासन

अध्यक्ष

(i) श्रीमति रीता कुमारी - 17/06/2002 से 08/06/2007

(ii) श्रीमति प्रियंका कुमारी- 09/06/2007 से 31/03/2008 तक।

उपाध्यक्ष

(i) श्री रमण कुमार रमण - 17/06/2002 से 08/06/2007

(ii) श्री सनोज कुमार मिश्र- 09/06/2007 से 31/03/2008 तक।

कार्यपालक पदाधिकारी

(i) श्री एस0के0 पाण्डेय- 14/07/2000 से 06/12/2003

(ii) श्री कौशलेन्द्र कुमार- 07/12/2003 से 02/12/2005

(iii) श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह- 03/12/2005 से 04/2007

(iv) श्री ऋषिकेश शर्मा- 05/2007 से 12/09/2007

(v) श्री जनार्दन ठाकुर- 13/09/2007 से 31/03/2008 तक।

(3) लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखा परीक्षा में उपलब्ध एवं नमूना लेखा परीक्षा की गई अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के **परिशिष्ट- I** में तथा अनुपलब्ध/असंधारित अभिलेखों की सूची **प्ररिशिष्ट- II** में दी गई है।

(4) पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं उनमें किये आपत्तियों के अनुपालन का विवरण निम्न है:-

(55)

क्रम सं0	अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 एवं वर्ष	बकाया पैरा	अनुपालन	शेष
1	2/1989-90 (1985-86 से 87-88)	16	11	5
2	79/1995-96 (1988-89 से 94-95)	24	16	8
3	4/2003-04 (1995-96से 2001-02)	35	35	शून्य

पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं तत्संबंधी कंडिकाओं पर की गई कार्यवाही पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध है कि लंबित कंडिकाओं के निराकरण करने के दिशा में उचित कदम उठाया जाय।

(5) वित्त

नगर पंचायत गोगरी, जमालपुर (खगड़िया) के वर्ष 2002-03 से 2007-08 के दौरान प्रारंभिक शेष, प्राप्ति, व्यय एवं अंत शेष का विवरण निम्न है:-

क्रम सं0	विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	प्रारंभिक शेष	22.20	15.99	32.13	16.96	20.66	42.93
2	वर्ष के दौरान प्राप्ति	10.21	41.73	15.25	19.82	121.88	38.18
3	योग	32.41	57.72	47.38	36.78	142.54	81.11
4	वर्ष के दौरान व्यय	16.42	25.59	30.42	16.12	99.61	12.03
5	अंतिम शेष	15.99	32.13	16.96	20.66	42.93	69.08

(विस्तृत विवरण **परिशिषट- III** पर दिया गया है)।

ऊपर दिये गये विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2007-08 का अंतशेष (31/03/2008) 69.08 लाख था। नगर पंचायत द्वारा वर्षवार वसूल किये गये राजस्व एवं स्थापना तथा प्रशासनिक व्यय की स्थिति निम्न है:-

क्रम सं0	वर्ष	वसूल किया गया राजस्व	स्थापना एवं अन्य प्रशासनिक व्यय	अंत्तर
1	2002-03	51065.00	161857.00	(-) 110792.00
2	2003-04	249463.85	180964.76	(+) 68499.09
3	2004-05	712520.60	125626.35	(+) 586894.25
4	2005-06	281193.55	788399.65	(-) 507206.10
5	2006-07	81382.75	84487.00	(-) 3104.25
6	2007-08	231832.00	301350.00	(-) 69518.00

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत, गोगरी, जमालपुर की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है। अधिकांश वर्षों में यह अपने स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय को भी पूरा करने में सक्षम नहीं है।

अतः नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा जिससे कि नगर पंचायत अपनी स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय करने में पूरी तरह सक्षम हो सके। इसके लिए कर निर्धारण, पेशा कर, खतरनाक एवं भयावह करोबार से संबंधित कर उचित प्रकार से लागू कर राजस्व वृद्धि की जा सकती है। जिससे संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सकती है।

(6) समाधान विवरणी

उपलब्ध कराये गये रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक के आधार पर समाधान विवरणी तैयार किया गया। जिसका विवरण निम्न हैः-

रोकड़ बही का शेष (31.03.2008)	6908762.62
बैंक/पी0एल0 खाता का शेष (31.03.2008)	7170629.00
अंतर	(-) **261866.38**
बैंक शेष का विवरण (31.03.2008)	
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (A/c No.- 21034)	616997.20
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (A/c no.- 01000050078)	890331.00
पी0एल0 खाता	4994052.26
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (A/c no.- 12482)	669249.00

(52)

योग	**7170629.46**
रोकड़ बही का शेष (31.03.2008)	
राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम	447657.00
विविध (एकादश, ब्याज आदि)	668750.25
स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	135504.00
नेहरू रोजगार योजना	129761.00
द्वादश वित्त आयोग (XIIth F.C.)	2001221.00
होल्डिंग टैक्स एवं विविध कर	123608.90
विकास निधि	1850960.90
निर्वाचन मद	3300.50
विधायक योजना	15,48,000.00
योग	**6908763.55**
अंतर का विस्तृत विवरण	
रोकड़ बही का शेष (31.03.2008)	6908762.62
चेक संख्या- 55317/08.08.2002 जिसका समाशोधन नहीं हो सका	(+) 45444.00
ब्याज की राशि जो रोकड़ बही में दर्ज नहीं हो सका	(+) 87117.00
योग	**7041323.62**
बैंक/पी0एल0 खाता का शेष (31.03.2008)	7170629.00
शुद्ध अंतर	**129305.38**

नगर पंचायत, गोगरी, जमालपुर द्वारा समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था। अतः उक्त राशि रूपये 1,29,305.38 का समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण को दिखावें।

(7) आन्तरिक लेखा परीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 1922 तथा इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली में नगर पंचायतों के लेखा के आन्तरिक अंकेक्षण की कोई स्पष्ट व्यवस्था तो नहीं है, परंतु बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम 20, 30 एवं 61 में एवं रिकवरी ऑफ टैक्स नियमावली 1949 (Recovery of Tax Act, 1949) के नियम 37 एवं 39 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा आन्तरिक जाँच के अनेक प्रावधान हैं। उक्त जाँचों का

उद्देश्य है कि नगर पंचायत के लेखा के संधारण एवं समन्वय पर उचित नियंत्रण रखा जाय तथा अनियमितताओं को रोका जा सके।

नगर पंचायत के अभिलेखों की जाँच के क्रम में यह पाया गया कि उक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं हुआ था जिसके कारण अनेक त्रुटियाँ पाई गई। अगर नगर पंचायत के पदाधिकारी नियत अन्तराल पर उन जाँचों को अपनाते तो अनेक त्रुटियाँ नहीं होती। भविष्य में इस दिशा में ध्यान दिया जाये।

(8) रोकड़ बही

रोकड़ बही का संधारण सही ढ़ंग से नहीं किया गया था। इसके संधारण में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गईः-

i. नगर पंचायत द्वारा पी0एल0 खाता के अतिरिक्त लेखा परीक्षा अवधि (2002-03 से 2007-08) तक 3 अतिरिक्त खाते संचालित थे। इन सभी खातों से संबंधित प्रविष्टियाँ दो अलग-अलग रोकड़ बहियों में छिट-फुट रूप से दर्ज था।

ii. रोकड़ बही में आय-व्यय का वर्गीकरण नहीं यिा गया था।

iii. रोकड़ बही का दैनिक एवं मासिक बंदी नहीं किया गया था।

iv. कई जगह पर प्राप्तियों एवं कई जगहों पर भुगतान का विस्तृत विवरण दर्ज नहीं था।

अतः रोकड़ बही का सही ढ़ंग से संधारण किया जाये तथा अगले अंकेक्षण में दिखायी जाये।

(9) होल्डिंग टैक्स का पुर्ननिर्धारण

बिहार एवं उड़ीसा म्युनिसीपल एक्ट के धारा 106 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर होल्डिंग टैक्स का पुर्ननिर्धारण करने की व्यवस्था की गई है।

नगर पंचायत, गोगरी, जमालपुर के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 1979-80 से अब तक नया कर निर्धारण नहीं किया गया है।

अतः अध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि पंचायत निधि के कर का पुर्ननिर्धारण शीघ्र करने का श्रम करें ताकि नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके। साथ ही, यह भी व्यवस्था की जाय कि होल्डिंग टैक्स का 50% राशि शिक्षा उपकर (Education Cess) एवं स्वास्थ्य उपकर (Helth Cess) वसूल कर सरकारी खाते में जमा करावें। इस प्रकार वसूली में से 10% संग्रहण शुल्क के रूप में काट कर शेष राशि उपर्युक्त खाते में जमा की जा सकती है।

(10) वसूली/जमा खाता (Collection Account)

नगर पंचायत, गोगरी, जमालपुर के जमा खाते (Collection Account) वर्ष 2002-03 से 2007-08 तक की अवधि के जाँच में पाया गया कि वसूली, माँग एवं जमा बहुत ही निम्न

50

है। जो क्रमशः (2002-03 से 2007-08 तक) 1.42%, 6.26%, 17.64%, 6.15%, 4.67% एवं 5.57% थी। जिसका विवरण निम्न है:-

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
माँग	3585232	3742700	3665682	3109300	3030870	3106492
वसूली	51065	234476	646734	191500	141551	172916
शेष	3534167	3508204	3018948	2917800	2889319	2933576
प्रतिशत	1.42%	6.26%	17.64%	6.15%	4.67%	5.57%

(नोटः- उक्त विवरण नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये आँकड़ों से लिया गया है।)

उक्त आँकड़ों से प्रतीत होता है कि नगर पंचायत की वसूली जमा (Collection Account) काफी नाजुक है जो प्राधिकृत न्यूनतम 85% से काफी कम है।

अतः अध्यक्ष एवं कार्यपालक अधिकारी से आग्रह की जाती है कि इस दिशा में ठोस कदम उठाये ताकि पंचायत निधि की स्थिति सुदृढ़ हो सके।

(विस्तृत विवरण **परिशिष्ट- IV** पर दिया गया है।)

11 जमा नहीं

नगर पंचायत, गोगरी, जमालपुर द्वारा मकान कर एवं विविध कर से वसूल की गई राशि का लेखा संधारित नहीं था। दैनिक वसूली पंजी, रोकड़पाल रोकड़ बही इत्यादि संधारित नहीं था। वर्ष 2002-03 से 31/07/2008 तक के होल्डिंग टैक्स एवं विविध कर रसीद से प्राप्ति राशि रूपये 24,96,183.50 था। जिसमें एकादश वित्त आयोग, सांसद निधि एवं अन्य प्रकार के प्राप्ति (यथा पशु गणना, निर्वाचन एवं जनगणना) से संबंधित राशि 6,48,425.00 रूपये था। अर्थात होल्डिंग टैक्स एवं विविध कर प्राप्ति की राशि 18,47,758.50 रूपये (2496183.50-648425.00) था। बैंकों में जमा की गई राशि से प्राप्त हुआ कि विविध कर एवं होल्डिंग टैक्स से कुल राशि रूपये 14,35,993.00 रूपये ही जमा किया गया (31.07.2008)। इस प्रकार 4,11,765.00 रूपये कम जमा किया गया।

अतः राशि रूपये 4,11,765.50 का जमा अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(विस्तृत विवरण **परिशिष्टि- IV** में दिया गया है।)

12. **कम जमा**

वर्ष 2002-03 से 2007-08 तक के नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर के होल्डिंग टैक्स एवं विविध कर रसीद की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित राशि पंचायत निधि में कम जमा की गई। जिसका विवरण निम्न हैः-

क्रम सं0	रसीद सं0/दिनांक/नाम	वास्तविक रूप से जमा होना था	जमा की गई राशि	कम जमा
1	होल्डिंग टैक्स/30.03.2006	37,053.40	33,053.40	4,000.00
2	786(III)/17.08.2006/ श्री सुलेमान पे0 कुर्बान अली	252.00	152.00	100.00
3	विविध रसीद संख्या- 155/25.11.2004 (संजय कुमार केजड़ीवाल)	212.50	150.00	62.50
	कुल योग			**4,162.50**

अतः राशि रूपये 4,162.50 संबंधित व्यक्ति से वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाये तथा अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

अध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर से आग्रह है कि वसूली एवं जमा से संबंधित विस्तृत विवरणी आरंभ से ही तैयार किया जाय ताकि राजस्व हानि की सही स्थिति का पता लगाया जा सके।

13. **अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क**

अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क पंजी का संधारण नगर पंचायत द्वारा नहीं किया गया था। वर्ष 2002-03 से 2007-08 तक कुल राशि रूपये 11,59,940.00 रूपये अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क के रूप में प्राप्त हुए, जिसका विवरण निम्न हैः-

क्रम सं0	दिनांक	विवरण	राशि (रूपये में)
1	19.02.2002	692/19.02.2002	106760.00
2	18.09.2002	306-309/18.09.2002	113120.00
3	23.07.2003	133/23.07.2003	120560.00

4	25.06.2004	178/25.06.2004	217260.00
5	05.09.2006	T.A. 20/05.06.2004	602240.00
कुल योग			11,59,940.00

अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क पंजी का संधारण नहीं होने के कारण यह पता नहीं लग सका कि किस अवधि से किस अवधि तक का मुद्रांक शुल्क प्राप्त किया गया तथा पूर्व में प्राप्त मुद्रांक शुल्क का पता नहीं लग सका। इसके अतिरिक्त किस उद्देश्य से एवं किन-किन मदों पर इस राशि को व्यय किया गया पता नहीं लग सका।

अतः अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

14. <u>टिन टिकट बन्दोबस्ती</u>

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर द्वारा टिन टिकट बन्दोबस्ती किया गया। जिसका विवरण निम्न हैः-

क्रम सं0	वर्ष	डाक की राशि	डाक की बोली	राशि (रूपये में)
1	2003-04	10,000.00	10,800.00	श्री अजय कुमार यादव (विविध रसीद 121/21.04.2003)
2	2004-05	12,500.00	37,100.00	श्री मो0 याकूब (विवध रसीद 125/04.06.2004) (विविध रसीद 126/07.06.2004)
3	2005-06	42,665.00	41,300.00	श्री प्रकाश सिंह (विवध रसीद 160/08.04.2005) (विविध रसीद 163/13.04.2005)
4	2006-07	49,065.00	62,500.00	श्री राज किशोर प्रसाद विवध रसीद 191/20.04.2006) (विविध रसीद 463/08.05.2006)
कुल प्राप्ति			1,51,700.00	

<u>नोटः-</u> डाक की राशि का निर्धारण पिछले वर्ष की डाक की बोली का कम-से-कम 15% बढ़ी हुई राशि आगामी वर्ष हेतु निर्धारित डाक की राशि निर्धारित थी।

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2003-04 से 20.06.2007 तक की अवधि तक का टिन टिकट का बंदोबस्ती किया गया था। जिसके अनुसार प्रति वर्ष डाक की राशि में 15% बढ़ोत्तरी का प्रावधान था। जबकि वर्ष 2005-06 में डाक की राशि 42,665.00 निर्धारित होने के बावजूद उस वर्ष मात्र 41,300.00 रूपये में ही बंदोबस्ती कर दी गई। जिससे नगर पंचायत को राशि रूपये 1,365.00 (42665-41300) राजस्व की हानि हुई। जिसकी वसूली संबंधित व्यक्ति से कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2007-08 में भी टिन-टिकट बंदोबस्ती किया जाना था। परन्तु उस वर्ष ऐसा नहीं किया गया। जिससे पंचायत निधि को राशि रूपये 71,875.00 (62500X115/100) की राजस्व की हानि हुई। यदि उक्त वर्ष में बंदोबस्ती किया जाता तो 71,875.00 रूपये राजस्व की प्राप्ति नगर पंचायत को होता है।

वर्ष 2007-08 में टिन-टिकट की बंदोबस्ती नहीं करने का कारण स्पष्ट किया जाय।

15. सरकारी अनुदान

वर्ष 2002-03 से 2007-08 तक अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर द्वारा सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। जिससे यह पता नहीं लग सका कि पूर्व वर्ष का शेष, प्राप्ति, उपयोग एवं शेष (अंतशेष) क्या था। कर्मचारियों के वेतनादि से संबंधित अनुदान उपलब्ध करायी गई पंजी के अनुसार निम्न था:-

क्रम सं0	दिनांक	विवरण	राशि (रूपये में)
1	11.10.2002	2858/11.10.2002	43553.00
2	20.03.2004	459/05.02.2004	44066.00
3	20.04.2005	1095/20.04.2005	38793.00
4	26.09.2005	3167/26.09.2005	19895.00
5	29.03.2006	1075/29.03.2006	39790.00
6	26.11.2007	5264/26.11.2007	300084.00
कुल योग			**4,86,181.00**

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर को उक्त प्राप्त राशि पंचायत निधि के साथ मिला कर रखा गया। स्वीकृत राशि का प्रपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः सरकारी अनुदान पंजी का संधारण उचित तरीके से किया जाये तथा इसके उपयोगिता पर ध्यान रखा जाये।

(16) सरकारी ऋण

नगर पंचायत द्वारा सरकारी ऋण पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इस कारण पूर्व वर्ष का बकाया, मूलधन, व्याज एवं चुकाये गये ऋण का पता नहीं लग सका। सरकारी ऋण की प्राप्ति से संबंधित विपत्र अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं कराया गया। उपलब्ध कराये गये पंजी के अनुसार सरकारी ऋण का विवरण निम्न थाः-

क्रम सं0	दिनांक	विवरण	राशि (रूपये में)
1	11.10.2002	2859/11.10.2002	43,552.00
2	05.02.2004	460/05.02.2004	44,066.00
3	20.04.2005	1095/20.04.2005	44,760.00
कुल योग			**1,32,378.00**

31/03/2008 तक प्राप्त ऋण एवं उस पर व्याज की गणना कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

साथ हीं, भविष्य में उक्त ऋण के पुर्नभुगतान हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें।

17. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)

वित्त विवरण

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत आय एवं व्यय का विवरण निम्न हैः-

	वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05
प्रारंभिक शेष	76120.00	30676.00	16924.00
अनुदान	-	-	128330.00
व्याज	-	-	-
वर्ष की प्राप्ति	76120.00	30676.00	145254.00
योजना व्यय	45444.00	13752.00	47818.00
अन्य	-	-	-
योग (कुल व्यय)	45444.00	13752.00	47818.00

अंतशेष	30676.00	16924.00	97436.00
	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07	वर्ष 2007-08
प्रारंभिक शेष	97436.00	277168.00	235504.00
अनुदान	209000.00	-	-
व्याज	-	-	-
वर्ष की प्राप्ति	306436.00	277168.00	235504.00
योजना व्यय	29268.00	41664.00	100000.00
अन्य	-	-	-
योग (कुल व्यय)	29268.00	41664.00	100000.00
अंतशेष	277168.00	235504.00	135504.00

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर द्वारा वर्ष 2002-03 से 2007-08 के दौरान 3,37,330.00 रूपये अनुदान के रूप में प्राप्त किया गया तथा पूर्व वर्ष का शेष 76,120.00 रूपये था। इस प्रकार अंकेक्षण अवधि तक कुल 4,13,450.00 रूपये स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत पंचायत निधि में उपलब्ध था तथा कुल राशि 2,77,946.00 रूपये सब्सिडी एवं अन्य मदों में व्यय किया गया। वर्षान्त (31.03.2008) को उक्त योजनान्तर्गत 1,35,504.00 रूपये शेष था। परन्तु यह इस निधि अन्तर्गत अवशेष राशि की वास्तविक स्थिति नहीं है। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनानतर्गत सब्सिडी मद में चेक संख्या- 055317/08.08.2002 द्वारा 45,444.00 रूपये स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, गोगरी जमालपुर को 96,000.00 रूपये अनुदान के विरूद्ध दिया गया था परन्तु उक्त राशि 45,444.00 रूपये बैंक द्वारा प्राप्ति की पुष्टि नहीं की जा सकी फिर वर्ष 2007-08 में 1,00,000.00 रूपये सब्सिडी मद में व्यय किया गया जिसमें राशि रूपये 45,444.00 भी शामिल था। इस प्रकार दो बार भुगतान किया गया। जिससे अंतशेष (2007-08) का 1,35,504.00 रूपये हीं रहा जबकि अंतशेष (31.03.2008) (1,35,504+45,444) =1,80,948.00 होना था।

अतः उक्त राशि का सामंजन कर तथा रोकड़ बही की त्रृटि को ठीक किया जाकर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

(विस्तृत विवरण **परिशिष्ट- V-A** पर दिया गया है।)

(18) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत शहरी स्व-रोजगार हेतु प्राप्त सब्सिडी के संबंध में:-

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत (SJSRY) शहरी बेरोजगार युवाओं को लघु उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति को लघु उद्यम स्थापित करने हेतु, जिसकी अधिकतम सब्सिडी कुल लागत (अधिकतम 50,000/- रूपये) का 15% दिये जाने का प्रावधान है। अर्थात् सब्सिडी की अधिकतम राशि 7,500/- रूपये निर्धारित की है।

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर के अभिलेख की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2002-03 से 2007-08 तक कुल 39 व्यक्तियों (21 व्यक्ति यूनियन बैं ऑफ इण्डिया + 18 व्यक्ति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया) को सब्सिडी की राशि प्रदान की गई। जिन्हें योजना के प्रावधान के विपरीत 30-33 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान किया गया। इसके तहत कुल 8,10,000/- (440000+370000) ऋण के विरूद्ध कुल राशि रूपये 2,52,490.00 सब्सिडी प्रदान किया गया (142490 UBI + 110000 SBI)। जबकि नियम के अनुसार 8,10,000/- रूपये ऋण के विरूद्ध अधिकतम 15% अर्थात् 1,21,500/- रूपये ही सब्सिडी दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार 1,30,990.00 रूपये अधिक सब्सिडी दिया गया। जिसे कुछ अन्य व्यक्ति को रोजगार मुहैया कराने हेतु सब्सिडी के रूप में दिया जा सकता था। किन परिस्थितियों में अधिक सब्सिडी की भुगतान किया गया, स्पष्ट किया जाय। स्पष्टीकरण होने तक अधिक भुगतान की गई राशि रूपये 1,30,990.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

(विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-V-B** पर दिया गया है।)

19. एकादश वित्त आयोग

एकादश वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान एवं व्यय का विवरण निम्न हैः-

	वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05
प्रारंभिक शेष	3961	277533	1491349
अनुदान	272072	1418318	675195
व्याज	-	-	-
अन्य	1500	-	8850
कुल प्राप्ति	273572	1418318	684045

वर्ष की प्राप्ति	277533	1695851	2175394
योजना व्यय	-	204502	1915200
अन्य	-	-	-
योग	-	204502	1915200
अंतशेष	277533	1491349	260194
	वर्ष 2005-06	**वर्ष 2006-07**	**वर्ष 2007-08**
प्रारंभिक शेष	260194	104945	554945
अनुदान	-	-	-
व्याज	86329	-	62234
अन्य	2400	450000	146404
कुल प्राप्ति	88729	450000	208638
वर्ष की प्राप्ति	348923	554945	763583
योजना व्यय	239578	-	-
अन्य	4400	-	94833
योग	243978	-	94833
अंतशेष	104945	554945	668750

एकादश वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की राशि का विवरणः-

क्रम सं0	दिनांक	विवरण	राशि (रूपये में)
1	31.03.2003	827/न0वि0वि0/22.03.2003	2,72,072.00
2	20.05.2003	ड्राफ्ट संख्या- 0996/31.03.2003	10,78,318.00
3	15.11.2003	चेक सं0- 80838/13.11.2003	3,40,000.00
4	31.05.2004	ड्राफ्ट सं0- 914139640/31.03.2004	6,75,195.00
कुल योग			**23,65,585.00**

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर द्वारा अनुदान पंजी एवं अनुदान विनियोग पंजी का संधारण नहीं कियया गया था जिसके कारण दिनांक 31.03.2002 को अव्यवहृत अनुदान, वर्ष

2002-03 से 2007-08 के दौरान वास्तविक व्यय एवं वर्ष के अंत में (31.03.2008) शेष का पता नहीं लग सका। अनुदान विनियोग पंजी के संधारण नहीं होने से उक्त योजनान्तर्गत प्राप्त राशि के विचलन की संभावना से इंकार नहीं कियया जा सकता। नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर द्वारा वर्ष 2003-04 में 3 योजनाओं जिसकी प्राक्कलित राशि 4,21,280.00 रूपये था के विरूद्ध कुल 4,20,892.00 रूपये व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2004-05 में 4 योजनाएँ जिसकी प्राक्कलित राशि 21,69,600.00 के विरूद्ध राशि रूपये 21,46,383.00 व्यय किया गया। इस प्रकार कुल 7 योजनाओं पर 25,90,880.00 रूपये प्राक्कलित राशि के विरूद्ध 25,67,275.00 रूपये व्यय किया गया। जिससे पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य कराया गया। इस प्रकार 2,01,690.00 रूप्ये (25,67,275-23,65,585) आवंटन से अधिक व्यय किया गया। उक्त योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो पर बिक्री कर की कटौती नहीं की गई थी। जिसका विवरण अलग से दिया गया है।

अंकेक्षण दल द्वारा अतिरिक्त व्यय का विचलन किस मद से किया गया, पूछे जाने पर कोई जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अतिरिक्त व्यय का विवरण उपलब्ध कराने तक राशि रूपये 2,01,690.00 आपत्ति के अधीन रखा जाता है। योजनओं का विवरण **प्ररिशिष्ट- VI** में दिया गया है।

(20) द्वादश वित्त आयोग

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर द्वारा अनुदान तथा अनुदान विनियोग पंजी का संधारण नहीं होने के कारण यह पता नहीं चल सका कि विशिष्ट उद्देश्य हेतु प्राप्त अनुदान का व्यय उसी उद्देश्य पर तथा स्वीकृत शर्त्तो के अधीन किया गया या नहीं तथा राशि की विचलन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही वर्ष के अंत में शेष (31.03.2008) राशि की वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगा सका।

द्वादश वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर द्वारा वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में 36,69,639.00 रूपये प्राप्त किया गया। जिसका विवरण निम्न है:-

	वर्ष 2006-07	**वर्ष 2007-08**
प्रारंभिक शेष	शून्य	6,35,304.00
अनुदान	1903722.00	1765917.00
वर्ष की कुल प्राप्ति	1903722.00	2401221.00
योजना व्यय	1268418.00	400000.00
अंतशेष	635304.00	2001221.00

अनुदान का विवरण।

क्रम सं0	दिनांक	विवरण	राशि (रूपये में)
1	31.03.2006	न0वि0 3191/28.09.2005	8,18,386.00
2	11.05.2006	ड्राफ्ट सं0- 925355580/31.03.2006	5,27,014.00
3	31.03.2007	-	5,58,322.00
4	08.09.2008	-	17,65,917.00
योग			**36,69,639.00**

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर द्वारा वर्ष 2006-07 में मिट्टी भराई, पी0सी0सी0 सड़क निर्माण, ईंट सोलिंग का कार्य कराया गया। जिसके अन्तर्गत लिये गये 5 योजनाओं पर 9,28,552.00 रूपये व्यय किया जा चुका था परन्तु केवल 3 हीं योजना पूर्ण हो सका तथा शेष 2 योजना अभी तक पूर्ण नहीं हो सका। 2 अपूर्ण योजनाओं पर अब तक 4,14,000/- रूपये व्यय किया जा चुका है। अतः अपूर्ण योजनाओं के विरूद्ध किये गये अग्रिम भुगतान की राशि 4,14,000/- योजना पूर्ण होने तक आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(विस्तृत विवरण **परिशिष्ट- VII-A** में दिया गया है।)

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर द्वारा बिक्री कर की कटौती नहीं की गई थी। जिसका विवरण अलग पृष्ठ पर उपलब्ध है। उक्त कार्यालय द्वारा योजना पंजी का संधारण नहीं किया गया था।

द्वादश वित्त आयोग के अन्तर्गत 50% राशि ठोस अवशिष्ट प्रबंधन पर खर्च करना था परंतु इस हेतु कितना व्यय किया गया, अंकेक्षण को नहीं बताया गया।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2006-07 में ही कुल 14 वार्डो में 70 चापाकल का निर्माण किया गया। जिसकी प्राक्कलित राशि (7139X70)=4,99,730.00 रूपये था अर्थात् प्रत्येक वार्ड में 5 चापाकल 7,139.00 रूपये प्रति चापाकल अर्थात् 35,695.00 रूपये की प्राक्कलित राशि से स्थापित करना था। परंतु कुल व्यय (अंकेक्षण अवधि तक 31.07.2008 तक) 3,59,866.00 रूपये किया जा चुका था। जिसमें योजना अभिलेख की जाँच से पाया गया कि सभी कार्य पूर्ण हो

चुका था। परन्तु किसी भी योजना में पूर्ण भुगतान नहीं किया था। इसका विवरण **परिशिष्ट- VII-B** में दिखाया गया है।

इस प्रकार द्वादश वित्त आयोग के अन्तर्गत योजनाओं पर कुल व्यय 12,88,418.00 रूपये हो चुक था। जबकि रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि 16,68,418.00 रूपये व्यय किया गया था। इस प्रकार कुल 3,80,000.00 की अधिक निकासी की गई जिसका ब्यौरा अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः कुल अधिक निकासी की राशि रूपये 3,80,000.00 का ब्यौरा अगले अंकेक्षण को उपलब्ध कराया जाय तब तक यह राशि आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(21) राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम (NSDP)

शहरी क्षेत्र में अवस्थित 'गंदी बस्ती' के विकास हेतु सरकार ने राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम (NSDP) की शुरूआत की। जिसका उद्देश्य गंदी बस्ती में रहने वाले परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करना था। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से थेः-

i. योजना कार्यान्वयन शहरी क्षेत्र के Neighbourhood Committee & Community Development Society के द्वारा किया जायेगा। जहाँ इन सामुदायिक विकास समिति का गठन नहीं हुआ है। वहाँ इनका गठन अविलंब करा लिया जाये।

ii. योजना हेतु आवंटित राशि का व्यय शहरी स्थानीय निकायों के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-बसर करने वालों के क्षेत्र की सीमा से बाहर यया ग्रामीण क्षेत्र आदि में करना अनियमितता ही नहीं राशि का दुर्विनियोग जैसा आर्थिक अपराध है।

iii. कुछ आवंअन का कम-से-कम 10% स्लम वासियों के लिये नये आवास निर्माण/उन्नयन पर खर्च किया जायेगा। आवास निर्माण की लागत प्रति ईकाई 33,800.00 रूपये एवं भौगोलिक सुविधा संवर्द्धन हेतु अतिरिक्त रूपये 2,500.00 अर्थात् 36,800.00 रूपये प्रत्येक ईकाई आवास की लागत होगी।

iv. इस योजना के अन्तर्गत आवंटित राशि से आवास निर्माण/उन्नयन की स्वीकृति राज्य स्तरीय समिति के द्वारा दी जायेगी। अतः इससे संबंधित प्रस्ताव निदेशक, शहरी गरीबी निवारण कार्यक्रम, नगर विकास विभाग को भेजने की कृपा की जाय। ऐसे प्रस्तावों में कुल लागत का एक अंश "ऋण" के रूप में शामिल किया जाना अपेक्षित होगा। इस ऋण की व्यवस्था सांस्थिक वित्त के माध्यम से की जा सकती है।

v. निर्माण कार्य अन्य एजेंसी यथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण संगठन आदि से कराया जाना बिल्कुल अनियमित है।

vi. यह भी सुनिश्चित किया जाय कि राशि का विचलन किसी भी स्थिति में अन्य योजनाओं में न हो।

vii. कार्य एक निश्चित समयावधि में पूर्ण कराया जाना चाहिए तथा किसी भी स्थिति में अधूरा नहीं छोड़ा जायेगा।

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि अनुदान पंजी एवं अनुदान विनियोग पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इसलिए 31/03/2002 के पूर्व अव्यवहृत अनुदान की राशि का वास्तविक पता नहीं लगाया जा सका। उपलब्ध कराये गये रोकड़ पंजी के अनुसार नगर पंचायत को प्राप्त अनुदान की राशि का विवरण तथा 31.03.2002 को अवशेष राशि का विवरण निम्न थाः-

क्रम सं0	रोकड़ बही में दर्ज तिथि	विवरण प्रारंभिक शेष	राशि (रूपये में)
1	28.05.2002	प्रारंभिक शेष	19,46,968.00
2	13.01.2003	न0वि0वि0 181/24.06.2002	5,50,000.00
3	26.06.2003	ड्राफ्ट सं0- 089169/26.05.2003	25,05,000.00
4	14.11.2005	ड्राफ्ट सं0- 0918846419/11.04.2005	3,05,000.00
योग			**53,06,968.00**

<u>योजनाओं के कार्यान्वयन पर व्यय</u>

क्रम सं0	वर्ष	वर्ष के दौरान ली गई योजनाओं की सं0	31/03/2008 तक अपूर्ण योजनाओं की सं0	अपूर्ण योजना पर व्यय	अभियुक्ति
1	2001-02	5	1	2,31,972.00	
2	2003-04	20	1	2,54,671.00	

3	2004-05	3	1	2,000.00	
योग		**28**	**3**	**4,88,643.00**	

(विस्तृत विवरण **परिशिष्ट- VIII** में दर्शाया गया है।)

लेखा परीक्षा टिप्पणी।

(I) Neighborhood Committee (NHG) Community Development Society (CDS) का गठन नहीं।

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर द्वारा NHG एवं CDS के गठन से संबंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं राया गया। इसके साथ-साथ उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि से विभागीय अभिकर्त्ता द्वारा ही कार्य कराया गया जो योजना के प्रावधान के विपरीत था।

(II) Slum Pockets का निर्धारण नहीं।

राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास योजना (NSDP) के प्रावधान के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन गंदी बस्ती (Slum area) में Slum, pockets का निर्धारण करने के बाद उन्हीं क्षेत्र में व्यय किया जाना था परन्तु इससे संबंधित अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि उक्त योजना का कार्यान्वयन गंदी बस्ती के विकास के लिए ही किया गया।

(III) नगर पंचायत द्वारा अनुदान विनियोग पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इस कारण यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि 31/03/2002 तक अव्यवहृत अनुदान क्या रहा। तथा दिनांक 31/03/2008 को भी अव्यवहृत अनुदान का स्पष्टतः निर्धारण नहीं कियया जा सका।

(IV) उपलब्ध कराये गये योजना विवरणी (2001-02 से 2008-08 तक) कुल व्यय 54,98,937.00 रूपये किया गया। जिससे 28 योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया। जिसमें 25 योजना ही पूर्ण हो सका तथा शेष 3 अपूर्ण योजनाओं पर अबतक 4,88,643.00 रूपये व्यय किया जा चुका है।

मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्य न होने का कारण स्पष्ट किया जाय। अपूर्ण योजनाओं पर किये गये कार्य व्यय रूपये 4,88,643.00 को स्पष्टीकरण होने तक अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

(37)

22) विकास निधि

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर द्वारा सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। अतः गत वर्ष का अनुपयुक्त अवशेष अंकेक्षण अवधि के दौरान अनुदान की प्राप्ति एवं व्यय का सही विवरण उपलब्ध नहीं हो सका। सहायक रोकड़ पंजी के अनुसार नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर को वर्ष 2006-07 में नगर विकास विभाग बिहार सरकार से पथों के निर्माण एवं जिर्णोद्धार हेतु कुल 1,04,78,200.00 रूपये प्राप्त हुए जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्रम सं0	अनुदान स्वीकृति का पत्रांक	राशि (रूपये में)	जमाकर्त्ता बैंक का नाम
1	1560/दिनांक 31.03.2006	1,00,00,000.00	युनियन बैंक ऑफ इण्डिया-12482
2	शून्य/दिनांक 31.03.2007	4,78,200.00	पी0एल0 खाता
योग		**1,04,78,200.00**	

रोकड़ बही एवं योजना पंजी के अनुसार वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान 17 योजनाओं के क्रियान्वयन पर विभागीय अभिकर्त्ताओं से कार्य शुरू कराया गया। इनमें से 12 योजनाएँ जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त थी। 3 योजनाएँ जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार से थी पर उस पर कार्य नहीं किया गया। 5 योजनाओं पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। 17 क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं की प्राक्कलित राशि 1,11,25,501.00 रूपये थी, पर कुल 86,27,240.00 रूपये व्यय किया गया। इनमें से सिर्फ 7 योजनाएँ जिनकी प्राक्कलित राशि 36,91,070.00 रूपये थी को 36,80,240.00 रूपये की लागत से पूरा किया जा सका। शेष 10 योजनाएँ किसी-न-किसी कारणवश या तो स्थगित कर दी गई या अधूरा कार्य कराकर छोड़ दिया गया। योजनाओं से संबंधित संचिका में कार्य को अधूरा छोड़ने का कोई कारण दर्ज नहीं था। अधूरी पड़ी योजनाओं के विरूद्ध संबंधित अभिकर्त्ताओं को कुल रूपये 49,47,000.00 भुगतान किया जा चुका था जिसका विवरण निम्न हैः-

क्रम सं0	अभिकर्त्ता का नाम	योजना सं0	प्राक्कलित राशि	अग्रिम राशि
1	श्री मोहन चौधरी, अनुसेवक	1/2005-06	24,52,400.00	10,04,000.00

(अ)

		2/2005-06	4,51,486.00	3,30,000.00
		4/2005-06	7,23,880.00	5,25,000.00
		7/2005-06	2,75,275.00	2,40,000.00
		1/2006-07	4,33,900.00	3,97,000.00
		2/2006-07	4,83,000.00	4,06,000.00
		4/2006-07	4,95,100.00	2,99,000.00
2	श्री हरदेव प्रसाद सिंह, स0 जमादार	3/2005-06	6,23,000.00	5,59,000.00
		9/2005-06	4,50,530.00	3,74,000.00
		12/2005-06	10,45,860.00	8,13,000.00
योग			**74,34,431.00**	**49,47,000.00**

65% से अधिक राशि व्यय होने के बाद चयनित योजनाओं को अधूरा छोड़ना सरकारी अनुदान का दुरूपयोग का मामला है। जिस उद्देश्य हेतु सरकार से अनुदान स्वीकृत किया गया, नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर के पदाधिकारियों के गलत निर्णय के कारण उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता नहीं मिली। अंकेक्षण मे मौखिक रूप में यह बताया गया कि योजनाओं को अधूरा छोड़ने के पीछे मुख्य कारण जमीनी विवाद है। यदि योजनाओं के चयन से पहले सावधानी पूर्वक जमीनी सर्वे करवाकर किया गया होता तो इतनी बड़ी राशि 49,47,000.00 रूपये के दुरूपयोग से बचा जा सकता था। कार्यदेश एवं अभिकर्त्ता तथा कार्यपालक पदाधिकारी के बीच हुए एकरारनामा के अनुसार कार्य को अधूरा छोड़ने की स्थिति में मापी के उपरांत अवशेष कार्यो के लागत मूल्य में हुई बढ़ोत्तरी की राशि एवं दिये गये अग्रिम के आधार पर वसूलनीय राशि बैंक दर पर सूद सहित अभिकर्त्ता से वसूलनीय थी। परंतु नगर पंचायत द्वारा इस तरह की अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इससे राशि के दुरूपयोग में नगर पंचायत पदाधिकारियों के संलिप्ता से इंकार नहीं किया जा सका।

अतः उक्त योजनान्तर्गत अपूर्ण कार्यो पर किया गया व्यय रूपये 49,47,000.00 को स्पष्टीकरण होने तक अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

(योजनाओं का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट– IX** में दर्शाया गया है।)

23) विकास निधि के अन्तर्गत लिये गये योजनाओं पर वैट/बिक्री कर की कटौती नहीं करना।

नगर विकास विभाग (बिहार सरकार) से प्राप्त 1,04,78,200/- रूपये अनुदान से विभागीय स्तर से किये जाने वाले कार्यो के समीक्षा के दौरान पाया गया कि कार्य संविदा के क्रम में भुगतान के समय श्रोत पर वैट/बिक्री कर की कटौती नहीं की गई। जिससे सरकार को 5,42,431.00 रूपये कर की क्षति उठानी पड़ी तथा संबंधित अभिकर्त्ताओं को अनुचित तरीके से लाभ पहुँचाया गया। बिहार सरकार वित्त (वाण्ज्यि कर) विभाग के पत्र संख्या- 5775 दिनांक 15.09.2005 के अनुसार विभागीय कार्य में खरीदे जाने वाले सामग्रियों के मूल्य पर उसके भुगतान के समय श्रोत पर वैट/बिक्री कर की कटौती करना अनिवार्य है।

बिक्री कर/वैट नहीं काटे जाने से सरकार को हुई हानि का विस्तृत विवरण निम्न है:-

(ईट, छड़- 4% सीमेंट, बालू, गिट्टी, लकड़ी- 12.5%),

क्रम सं0	योजना सं0	अभिकर्त्ता का नाम	सिमेंट पर वैट	छड़ पर वैट	किऊल बालू पर वैट	स्टोन चिप्स पर वैट	ईट पर वैट	कुल राशि (रू0 में)
			12.5%	4%	12.5%	12.5%	4%	
1	1/2005-06	श्री मोहन चौधरी	9135	-	5270	6576	3880	24861.00
2	2/2005-06	श्री मोहन चौधरी	-	-	-	-	342	342.00
3	3/2005-06	श्री हरदेव प्र0 सिंह	15732	1334	6875	13561	3152	40654.00
4	4/2005-06	श्री मोहन चौधरी	14087	-	5482	13620	2470	35659.00
5	5/2005-06	श्री मोहन चौधरी	23747	783	8060	24834	283	57707.00
6	7/2005-06	श्री मोहन चौधरी	8155	-	2767	8525	993	20440.00
7	8/2005-06	श्री हरदेव प्र0 सिंह	-	-	-	-	5496	5496.00
8	9/2005-06	श्री हरदेव प्र0 सिंह	14297	-	4851	14945	413	34506.00
9	10/2005-06	श्री हरदेव प्र0	19652	2188	5649	16066	4655	48210.00

		सिंह						
10	11/2005-06	श्री हरदेव प्र0 सिंह	25865	457	9472	24594	7306	67694.00
11	12/2005-06	श्री हरदेव प्र0 सिंह	27492	-	9860	28456	4427	70235.00
12	13/2005-06	श्री हरदेव प्र0 सिंह	4322	378	1842	3773	686	11001.00
13	14/2005-06	श्री हरदेव प्र0 सिंह	15435	-	5340	17435	1331	39541.00
14	15/2005-06	श्री हरदेव प्र0 सिंह	6825	-	2326	7160	701	17012.00
15	1/2006-07	श्री मोहन चौधरी	-	-	-	-	7188	7188.00
16	2/2006-07	श्री मोहन चौधरी	14609	-	4411	13242	1006	33268.00
17	4/2006-07	श्री मोहन चौधरी	12710	-	3898	12009	-	28617.00
	योग							**5,42,431.00**

कार्य संविदा के भुगतान के समय वैट/बिक्री कर की कटौती नहीं किये जाने से रूपये 5,42,431.00 की हुई हानि को संबंधित अभिकर्त्ताओं से शीघ्र वसूली कर सरकारी खजाने के शीर्ष 0040 राज्य बिक्री कर में जमा कराया जाय तथा इसकी सूचना अंकेक्षण को भी दिया जाय।

(24) एकादश, द्वादश, राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजनाओं पर बिक्री कर की कटौती नहीं।

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर के योजना अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि योजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों पर वैट/बिक्री कर की कटौती नहीं की गई थी। बिहार सरकार वित्त (वाण्ज्यि कर) विभाग के पत्र संख्या- 5775 दिनांक 15.09.2005 के अनुसार विभागीय कार्य में खरीदे गये सामग्रियों के मूल्य पर उसके भुगतान के समय श्रोत पर वैट/बिक्री कर की कटौती करना अनिवार्य है। इस प्रकार इन सामग्रियों पर (ईंट, बालू, सिमेंट, छड़ गिट्टी इत्यादि) कुल राशि रूपये 4,78,828.00 की कटौती की जानी थी, जो नहीं किया गया था। अतः उक्त बिक्री कर की राशि रूपये 4,78,828.00 का संबंधित व्यक्ति से वसूल कर सरकारी खाते में जमा कर लेखा परीक्षा को अवगत करावें।

(विस्तृत विवरण **परिशिष्ट- IX-B** पर दिया गया है।)

(25) <u>अधिक/अनियमित भुगतान</u>

योजना संख्या :- 2/2004-05 (NSDP)

योजना का नाम :- वार्ड नम्बर- 4 में भोजुआ ग्राम में सुनील झा के घर के पास से महेन्द्र प्रसाद के घर तक मिट्टी एवं ईट सोलिंग कार्य।

तकनीकी स्वीकृति :- कार्य अभि० एन० आर० ई० पी०, खगड़िया।

प्राक्कलित राशि :- 1,96,550.00

प्रशासनिक स्वीकृति :- शहरी विकास अभि०, खगड़िया।

अभिकर्त्ता :- श्री मोहन चौधरी, अनुसेवक

कार्यादेश :- 28.07.2004

मापी पुस्त के अनुसार कार्य का मूल्यः- 1,50,599.00

चेक संख्या :- 87471/02.08.2004 - 2,000.00

52962/20.01.2006 - 1,20,000.00

02992/13.06.2006 - 25,000.00

योग **1,47,000.00**

<u>नोटः-</u> कार्यपालक अभियंता रा० ग्रा० नि० कार्यक्रम, खगड़िया द्वारा 950' सड़क में उक्त कार्य करने की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी।

मस्टर रॉल के अनुसार			
क्रम सं०	**अवधि**	**@58.65/- मजदूर2का० दि०**	**@100/- मिस्त्री/का० दि०**
1	02.01.2006 से 08.01.2006	98	–
2	09.01.2006 से 12.01.2006	56	2
3	अवधि नहीं	727	40
योग		**881**	**42**

कुल भुगतानः- (881X58.65)+(42X100)= 55,871.00

(32)

अभिश्रव के अनुसार		
1	प्रथम श्रेणी ईट (42110 ईट @1900 रूपये/)	80,009.00
2	स्थानीय बालू (50 ट्रीप @255 रूपये//ट्रीप)	12,750.00
3	साईन बोर्ड	1,985.00
योग		97,744.00

अभिश्रव के अनुसार कुल राशि :- 94744+55871=150615.00

<u>मापी पुस्त के अनुसार</u>

(1) **Earth work filling in road embankment all complete job**

<u>As per 1st on a/c Bill</u>

Total Earth Work in 348' – 30416.625 cft

<u>As per 2nd & final a/c Bill</u>

Total Earth Work in 161' – 9451.530 cft

Total Earth Work in 509' – 39868.155 cft

Less 10% for withness piller – 3986.815 cft

Net Earth Work – 35881.34 cft

(a) Mandays required @ 110 cft/Lab – 326 MD

(b) Providing 5 Extra lead on 35881.34 cft

Mandays = 35881.34X5/100= 18 MD

उक्त कार्य में मिट्टी कार्य (Earth Work) की मापी Pit Measurement के माध्यम से की गई थी। जिसके लिये 10% साक्ष्य के रूप में (As withness pillar) की कटौती की गई थी। इस प्रकार मापी पुस्त के अनुसार मिट्टी भरने (Earth filling) एवं Lead के लिए 534 मजदूरों को भुगतान किया गया। जबकि कुल 506 मजदूरों को भुगतान किया जाना था। इस

प्रकार (534-506)= 28 मजदूरों को 58.65 रूपये प्रति मजदूर की दर से (58.65ⅹ28)=1624.00 का अधिक भुगतान हुआ जिसे जवाबदेह व्यक्ति से वसूल किया जाय।

(2) विलोपित

(3) विलोपित

(4) उक्त योजना में खरीद की गई सामग्रियों पर रॉयाल्टी एवं बिक्री कर की कटौती नहीं की गई।

क्रम सं0	सामग्री/मात्रा/राशि		रॉयाल्टी का दर	राशि	बिक्री कर का दर	राशि
1	प्रथम श्रेणी ईट (42110 ईट)		25 रू0/1000	1053.00	8%	3,200.00
	राशि	80009.00				
2	स्थानीय बालू (5000 cft)		12.50 रू0/cft	625.00	8%	1,020.00
	राशि	12750.00				
योग				1,678.00		4,220.00

बिक्री कर एवं रॉयाल्टी की कुल राशि रूपये 5,898.00 संबंधित व्यक्ति से वसूल कर सरकारी निधि में जमा की जाय।

(5) उक्त योजना प्राक्कलन में दर्शाये अनुसार मात्रा में नहीं की गई। योजना कार्य पूर्ण नहीं किया गया तथा कनीय अभियंता द्वारा इस कार्य को पूर्ण होने का उल्लेख किया गया। इस संबंध में वे अपने स्पष्टीकरण से लेखा परीक्षा को अवगत करावें।

(6) यह योजना राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम (NSDP) के अन्तर्गत संचालित है। जिसमें योजना का कार्यान्वयन Neighbourhood Group या Community Development Socity द्वारा किया जाना था। Slum pockets का निर्धारण कर उसी क्षेत्र में योजना कार्यान्वित होनी थी परंतु योजना का कार्यान्वयन विभागीय कराया गया जो NSDP के प्रावधान के विपरित है।

(26) अधिक भुगतान

योजना संख्या :- 3/2006-07 (12वां वित्त आयोग)